

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 149/19
(आरसीएमएस संख्या 2019/00276)

निर्णय दिनांक: 18-02-2020

- | | | |
|---------------|--|--|
| 1. भारतीदेवी | | पिसरान स्व. अर्जुनराम जाति कुम्हार निवासी हुसंगसर तहसील व जिला बीकानेर। |
| 2. भंवरलाल | | |
| 3. बसन्तीदेवी | | |
| 4. शिवलाल | | |

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोंडेन्ट




अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 31-03-1984
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 31-03-1984 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता को पूर्व में मोहरबन्द श्रेणी हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पति/पिता को बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 07 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 43/25 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 43/17 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा इस प्रकार कुल 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु आवेदन करने पर


राजस्थान अपील प्राधिकारी
बीकानेर

अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 31-03-1984 को किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। जिसका अपीलांट्स को कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही बतौर मोहरबन्द श्रेणी में आवंटन हेतु आरक्षित भूमि थी। इस कारण अपीलांट्स को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट्स का कोई दोष नहीं है। अपीलांट्स एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट्स आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटित भूमि पूर्व से ही मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि है इसलिए अपीलांट्स अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट्स के पति/पिता आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता का आवंटन तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट्स की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट्स को उनकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।



मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर वादगत् भूमि पर कब्जा दिये जाने का कथन किया जाता रहा है। अपीलांट्स को आज दिनांक तक वादगत् भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के आवंटन को खारिज किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट्स की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31-03-1984 के विरुद्ध अपील दिनांक 09-09-2019 को प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स के पति/पिता को दिनांक 31-03-1984 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट्स के पति/पिता को आवंटित भूमि पूर्व में ही मोहरबन्द श्रेणी हेतु आरक्षित भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट्स को नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।


राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 31-03-1982 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 09-09-2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. (1) हस्तगत प्रकरण में अपीलाट्स के पति/पिता द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 07 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 43/25 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा व मुरब्बा नम्बर 43/17 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा इस प्रकार कुल 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। जिसका अपीलाट्स के पति/पिता को कब्जा नहीं मिला क्योंकि अपीलाट को आवंटित भूमि पूर्व में ही मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि थी।

(2) जहाँ तक अपीलाट्स के पति/पिता को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, उक्त आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जाँच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जाँच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्ध रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत मातहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलाट को नहीं मिल सकता।

(3) अपीलाट्स के पति/पिता को पूर्व में मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जाँच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलाट की पात्रता अनुसार शुद्ध रूप से भूमिहीन श्रेणी में आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जाँच किये बिना अपीलाट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।



202
राज्य अपील अदालत
लखनऊ

(4) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट्स को नहीं दिया जा सकता।


(5) प्रकरण में अदालत मातहत को चाहिए था कि अपीलांट्स के पति/पिता का आवंटन खारिज करते हुए उसे अन्यत्र भूमि प्रदान की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलांट्स के पति/पिता का आवंटन खारिज किया गया व न ही अन्यत्र भूमि प्रदान की गई है। अदालत मातहत द्वारा ऐसा नहीं किये जाने के फलस्वरूप ही अपीलांट्स को उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ी है। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है।

(6) चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पति/पिता को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जो पूर्व में मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित होने के कारण अपीलांट्स भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।



8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 31-03-1984 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट्स को नियमानुसार उसकी पात्रता के अनुसार भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18-02-2020 को सरे इजलास सुनाया गया।


(राम रतन साँकरिया)
राजस्थान अपील अधिकारी
राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

